	क्षति इस प्रकार से संभावित है तथा न ही प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष का किस प्रकार से है यह भी न तो प्रार्थना पत्र में वर्णित है और न ही बहस में है। अतः हमें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है कि अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित है। अतः एक पक्षीय सुनवाई के उपरान्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 12.07.2018 को पेश हों
12/7/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते बहस आयन्दा दि. 24/9/18 को पेश हो। S.D.O.
24/9/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते बहस आयन्दा दि. 27/12/18 को पेश हो। S.D.O.
27/12/18	पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश/प्रश. कार्यों में व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक 20 3/19 को पेश हो। रीडर
20 3/19	दि० 20.3.19 को राजकीय अवकाश होने से आज पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश/प्र. कार्यों में व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक 10 6/19 को पेश हो। रीडर
10 6/19	पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश/प्र. कार्यों में व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक 16 9/19 को पेश हो। रीडर
16 9/19	पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश/प्र. कार्यों में व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक 9 12/19 को पेश हो। रीडर
09 12/19	पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश/प्र. कार्यों में व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक 06 02/20 को पेश हो। रीडर
06 02/20	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाजें लगवाई गई। कोई हाजिर नहीं। प्रतीत होता है कि प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील की कोई रुचि नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी इसी स्टेज पर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल में शुमार होकर हस्ब ज़ाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.04 17:43:28 IST
Reason: SelfAttested